

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/एफ-4-100/सात-1/2012
प्रति,

रायपुर, दिनांक 26/4/2016

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :- संहिता की धारा 241 के अंतर्गत वृक्षों की कटाई हेतु स्थल निरीक्षण व प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा।

संदर्भ :- इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ-4-100/सात-1/2012 दिनांक 30.6.2015

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

- 2/- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 241 के अंतर्गत बने नियमों में वृक्षों की कटाई की अनुमति हेतु 03 माह की समय-सीमा निर्धारित है।
- 3/- इसी प्रकार अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों तथा वन अधिकारियों द्वारा भी स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिनों की कार्यावधि नियत है।
- 4/- बहुधा अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों तथा वन अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण तो कर लिया जाता है, किन्तु उनके द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब किया जाता है।

अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि स्थल निरीक्षण पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित अधिकारी अधिकतम दो दिवस में अपना प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत कर दें।

32.
(श्री.निहारी)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

✶ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग